डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के विना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजीयन क्रमांक रायपुर डिवीजन

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 69] रायपुर, बुधवार, दिनांक 25 अप्रैल 2001—वैशाख 5, शक 1923

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, डी. के. एस. भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 25 अप्रैल 2001

सूचना

क्रमांक 1176/748/पंग्रावि/2001.—उन नियमों का, जिन्हें राज्य सरकार, मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 70 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 95 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए बनाना प्रस्तावित करती है, निम्नलिखित प्रारूप, उक्त अधिनियम की धारा 95 की उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार उन समस्त व्यक्तियों की, जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस सूचना के "छत्तीसगढ़ राजपत्र में" प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन अवसान होने पर, उक्त प्रारूप पर विचार किया जावेगा.

ऐसी किसी भी आपत्ति या सुझाव पर, जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि का अवसान होने के पूर्व प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा.

प्रारूप नियम

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ :—

इन नियमों का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ पंचायत शाला शिक्षा संविदा शिक्षक (नियुक्ति तथा सेवा शर्तें) नियम, 2001 है.

(2) ये नियम "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. परिभाषाएं :—

उन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994);

(ख) संविदा शाला शिक्षक के संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है अनुसूची-एक के कालम (5) में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी;

(ग) "समिति" से अभिप्रेत है अनुसूची-दो में दिये गये अनुसार संविदा शाला शिक्षक की नियुक्ति के लिए गठित की गयी चयन समिति;

(घ) "सरकार" से अभिप्रेत हैं छत्तीसगढ़ सरकार;

(ङ) "पंचायत" से अभिप्रेत है अधिनियम के अधीन गठित की गई यथास्थिति जिला पंचायत या जनपद पंचायत;

(च) "राज्य" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य;

(छ) "अनुसूची" से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न अनुसूची;

(ज) "संविदा शाला शिक्षक" से अभिप्रेत है यथास्थिति जिला पंचायत या जनपद पंचायत द्वारा उनके नियंत्रणाधीन स्कूलों में पढ़ाने के लिए नियुक्त किया गया व्यक्ति; और

(झ) "सामान्य प्रशासन समिति" से अभिप्रेत है, यथास्थिति, जिला पंचायत या जनपद पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति.

3. विस्तार तथा लागू होना :—

ये नियम जनपद पंचायत या जिला पंचायत द्वारा उनके नियंत्रणाधीन स्कूलों के लिये नियुक्त किए गए "संविदा शाला शिक्षक" को लागू होंगे.

4. वर्गीकरण तथा संविदा राशि :—

संविदा शिक्षकों का वर्गीकरण और उनकी संविदा राशि, अनुसूची-एक में दिए गए अनुसार होगी.

5. चयन तथा भरती की पद्धति :—

(1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् संविदा शिक्षकों के संवर्ग की भरती, सीधी भर्ती के माध्यम से चयन द्वारा की जायेगी;

(2) सीधी भर्ती के लिए पात्रता की शर्तें :— अनुसूची-दो में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार होगी;

(3) मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) के उपबंध संविदा शाला शिक्षक की सीधी भर्ती को लागू होंगे.

(4) शासन के नियमों के अनुसार महिलाओं, विकलांग व्यक्तियों, भूतपूर्व सैनिकों तथा ऐसे अन्य अभ्यर्थियों के लिए, जो पिछड़े वर्गों के हों, पद आरक्षित किये जायेंगे. साथ ही मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) के उपबंधों और राज्य शासन द्वारा, समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों के लिए पद आरक्षित किये जायेंगे.

(5) "संविदा शिक्षक" के पद

(1) क्षेत्र में अधिक संख्या में प्रचलित समाचार पत्रों में से कम से कम किसी एक समाचार पत्र में विज्ञापित किए जायेंगे;
(2) स्थानीय रोजगार कार्यालय में अधिसूचित किए जायेंगे, और
(3) संबंधित जनपद पंचायत या जिला पंचायत, जैसी भी कि दशा हो, के सूचना फलक पर प्रदर्शित किए जाएंगे.

(6) प्राप्त आवेदनों की छानबीन करने के पश्चात् अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों और सामान्य प्रवर्ग के अभ्यर्थियों की प्रवर्गवार योग्यता सूची, पद के लिए विहित की गई अर्हता परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जायेगी.

(7) चयन समिति यथास्थिति, जिला पंचायत या जनपद पंचायत द्वारा अनुसूची-दो में विनिर्दिष्ट किये गये सदस्यों से गठित की जायेगी. सामान्यत: चयन तथा नियुक्ति का कार्य, ग्रीष्मावकाश के दौरान शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ होने के पूर्व किया जायेगा.

(8) (एक) समिति अभ्यर्थियों का आकलन तथा अंक निर्धारण निम्नानुसार रीति से करेगी-

1. विहित अर्हता परीक्षा में अभिप्राप्त अंको के लिए-75 प्रतिशत.
2. बी.एड./बी.टी.आई./डी.एड. प्रमाण पत्र के लिए-10 प्रतिशत.
3. स्काउट और गाइड्स/एन.सी.सी. प्रमाण पत्र के लिए-05 प्रतिशत.
4. स्थानीय बोली के ज्ञान के लिए 10 प्रतिशत

अगर स्थानीय बोली का ज्ञान हो, तो 10 प्रतिशत अंक दिया जाएगा एवं नहीं होने की स्थिति में शून्य प्रतिशत अंक दिया जाएगा.

चयन समिति इसी मापदण्ड के आधार पर मूल्यांकन करेंगे. अंक बराबर होने की दशा में अंतिम चयन लाटरी के माध्यम से ड्रा निकालकर की जाएगी.

(दो) 1-प्रत्येक प्रवर्ग के अभ्यर्थियों के लिए चयन सूची, उनकी योग्यता के क्रम में उपरोक्त आकलन के आधार पर तैयार की जायेगी और उसके अंतर्गत 5 नाम या 20 प्रतिशत नाम, इनमें से जो भी अधिक हो, की प्रतीक्षा सूची होगी जो कि 9 मास की कालावधि के लिए विधिमान्य होगी.

2-एक एकीकृत चयनसूची भी इस क्रम में तैयार की जायेगी की अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम सूची में सबसे ऊपर दर्शाया गया हो और अन्य नाम अवरोही क्रम में सामान्य प्रवर्ग (अनारक्षित प्रवर्ग) में रिक्तियों की संख्या तक सीमित दर्शाये गये हों.

3-यदि सामान्य प्रवर्ग की सूची में योग्यता के आधार पर आरक्षित वर्ग का कोई अभ्यर्थी है तो उसकी नियुक्ति को आरक्षित प्रवर्ग की रिक्ति के विरुद्ध नहीं माना जायेगा.

4-इसके पश्चात् आरक्षित प्रवर्ग में अभ्यर्थियों के नाम, ऐसे प्रवर्गों में से प्रत्येक प्रवर्ग की आरक्षित रिक्तियों की संख्या तक सीमित रूप में उनकी योग्यता के क्रम में दर्शाये जायेंगे. एकीकृत चयन सूची के अंतर्गत एक प्रतीक्षा सूची भी होगी जिनमें अभ्यर्थियों के 5 नाम या 20 प्रतिशत नाम, इनमें से जो भी अधिक हो, उक्त सिद्धान्त के आधार पर होंगे.

(9) चयन सूची से नियुक्ति, मध्यप्रदेश लोक सेवा, (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) के अधीन राज्य सरकार द्वारा विहित किये गये तथा यथास्थिति, जिला पंचायत तथा जनपद पंचायत द्वारा रखे गये रोस्टर के अनुसार की जायेगी.

6. अनुकम्पा नियुक्ति :—

नियम-5 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी पंचायत कलेक्टर की सिफारिशों पर, इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये नियमों या निर्देशों के अधीन अनुकम्पा के आधार पर नियोजन के लिए पात्र किसी व्यक्ति को संविदा शिक्षक के पद पर नियुक्त कर सकेगी.

7. सेवा में नियुक्ति :—

"संविदा शाला शिक्षक" के पद पर सीधी भरती के माध्यम से चयनित प्रत्येक व्यक्ति किसी विशिष्ट स्कूल के लिए तीन वर्ष की कालावधि के लिए नियुक्त किया जायेगा.

8. अनुशासन एवं नियंत्रण :—

संविदा शिक्षक, यथास्थिति, जिला पंचायत तथा जनपद पंचायत के प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन रहेंगे.

9. अपील :—

इन नियमों के अधीन पारित आदेशों के विरुद्ध कोई अपील अधिनियम के उपबंधों के अनुसार की जायेगी.

10. अन्य शर्तें :—

(क) इन नियमों के अधीन नियुक्ति किया गया कोई भी व्यक्ति, पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के माध्यम से पंचायत के प्रशासकीय नियंत्रण में होगा.

(ख) इन नियमों के अधीन नियुक्ति किया गया कोई भी व्यक्ति, राज्य सरकार के कर्मचारियों को लागू नियमों के अनुसार चिकित्सीय सुविधाओं तथा यात्रा भत्तों का हकदार होगा.

(ग) इन नियमों के अधीन नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति, एक वर्ष में 13 दिवस के आकस्मिक अवकाश तथा 3 दिवस के ऐच्छिक अवकाश का हकदार होगा. किन्तु अन्य प्रकार के अवकाश या दीर्घावकाश का हकदार नहीं होगा.

(घ) संविदा शाला शिक्षक वर्ग 1 को रुपये 3000/-, वर्ग 2 को रुपये 2500 तथा वर्ग 3 को रुपये 2000/- प्रतिमाह एकजाई संविदा वेतन देय होगा इसके अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ता आदि की पात्रता नहीं होगी.

(ङ) इन नियमों के अधीन सेवाओं का पर्यवसान, पदावधि के अवसान के पूर्व, किसी भी ओर से एक माह . सूचना या उसके स्थान पर एक माह की संविदा राशि देकर किसी भी समय किया जा सकेगा.

(च) इन नियमों के अधीन नियुक्त किया गया कोई भी व्यक्ति मध्यप्रदेश पंचायत सेवा (आचरण) नियम, 1998 द्वारा शासित होगा. सेवा की कोई अन्य शर्तें ऐसी होगी, जैसी की नियुक्ति के आदेश में विनिर्दिष्ट की जावे.

(छ) संविदा शिक्षक की नियुक्ति में सुस्पष्टता एवं निष्पक्षता किसी भी स्तर पर सुनिश्चित करने के लिए विभाग को प्रशासनिक आदेश जारी करने का अधिकार होंगे.

(ज) चयन प्रक्रिया में किसी प्रकार की गड़बड़ी किए जाने अथवा पाए जाने पर प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही तथा अशासकीय व्यक्तियों को नियमानुसार अयोग्य एवं अपात्र घोषित करने की कार्यवाही की जाएगी.

(झ) चयन प्रक्रिया में किसी अर्थ-लाभ की पुष्टि होने पर अथवा शिकायत प्राप्त होने पर जांच के उपरान्त उम्मीदवार तथा संबंधित व्यक्ति, जो भी इसमें लिप्त पाया जाता है, के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी.

11. निर्वचन :—

इन नियमों के निर्वचन के संबंध में यदि, कोई प्रश्न उद्भूत होता है, तो वह सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा.

अनुसूची-एक

[देखिए नियम-2 (ख)]

क्रमांक	संविदा शाला शिक्षक का वर्गीकरण	पदों की संख्या	संविदा राशि (समेकित तथा प्रथम नियुक्ति पर नियत)	नियुक्ति प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	श्रेणी-1	....	रु. 3000/-	जिला पंचायत
2.	श्रेणी-2	....	रु. 2500/-	जनपद पंचायत
3.	श्रेणी-3	....	रु. 2000/-	ग्राम पंचायत

टीप :—1. संविदा शिक्षकों की विभिन्न श्रेणी के लिए पदों की संख्या का निर्धारण, यथास्थिति संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी या सहायक आयुक्त आदिवासी विकास द्वारा प्रमाणित किया जाएगा.

2. सरकार केवल प्रमाणित प्रस्ताव प्राप्त होने पर, समय-समय पर "संविदा शाला शिक्षक" के पद की संख्या अनुमोदित करेगी.

अनुसूची-दो

[देखिए नियम-2 (ग) तथा नियम-5]

क्रमांक	संविदा शाला शिक्षक का वर्गीकरण	न्यूनतम आयु	अधिकतम आयु	शैक्षणिक अर्हता	चयन समिति के सदस्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	श्रेणी-1	21 वर्ष	30 वर्ष	संबंधित विषय में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि या समकक्ष.	1. सभापति, जिला पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति. **अध्यक्ष** 2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत. **सदस्य** 3. यथास्थिति जिला शिक्षा अधिकारी या सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास. **सदस्य सचिव** 4. अध्यक्ष जिला योजना समिति द्वारा नामांकित दो विषय विशेषज्ञ जिनमें से एक महिला सदस्य होगी. **सदस्य** 5. सामान्य प्रशासन समिति के समस्त सदस्य जिनमें से एक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का हो. यदि सामान्य प्रशासन समिति ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग के सदस्य उपलब्ध न हो तो ऐसे सदस्य सामान्य सभा से नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे. **सदस्य** 6. अध्यक्ष, जिला योजना समिति द्वारा नामांकित एक सदस्य.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	श्रेणी-2	21 वर्ष	30 वर्ष	संबंधित विषय समूह में द्वितीय श्रेणी में स्नातक उपाधि या समकक्ष.	1. सभापति, जनपद पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति. **अध्यक्ष** 2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत. **सदस्य** 3. यथास्थिति, जिला शिक्षा अधिकारी या सहायक आयुक्त, आदि-वासी विकास. **सदस्य सचिव** 4. सामान्य प्रशासन समिति द्वारा नामनिर्दिष्ट दो विषय विशेषज्ञ, जिनमें से एक महिला सदस्य होगी. **सदस्य** 5. सामान्य प्रशासन समिति के समस्त सदस्य जिनमें से एक अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का हो. यदि सामान्य प्रशासन समिति ने अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग के सदस्य उपलब्ध न हो तो ऐसे सदस्य सामान्य सभा से नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे. **सदस्य**
3.	श्रेणी-3	18 वर्ष	30 वर्ष	उच्चतर माध्यमिक प्रमाण पत्र परीक्षा उत्तीर्ण या समकक्ष	1. सरंपच ग्राम पंचायत **अध्यक्ष** 2. उप सरंपच **सदस्य** 3. एक महिला पंच **सदस्य** 4. एक पंच जो कि अ.जा/ अ.ज.जा. का हो **सदस्य** 5. स्कूल के प्रधान अध्यापक **सदस्य सचिव**

टीप :—1. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए उच्चतर आयु सीमा में छूट राज्य सरकार के नियमों के अनुसार होगी.

2. महिला अभ्यर्थियों के लिए अन्य सभी छूट के अतिरिक्त उच्चतर आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट रहेंगी.

3. जिन अभ्यर्थियों ने संबंधित जनपद पंचायत अथवा जिला पंचायत के पर्यवेक्षण के अधीन शैक्षणिक संस्थाओं में कम से कम 3 वर्ष का कार्य किया है, उन्हें उच्चतर आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जा सकेगी.

4. औपचारिकेत्तर शिक्षा केन्द्रों के अनुदेशकों/पर्यवेक्षकों को उनकी आयु सीमा में 8 वर्ष की छूट दी जा सकेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोहर पाण्डे, उप-सचिव.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.